

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/87710/FGH/FATEHGARH/299/CFO

दिनांक : 28-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ROSY PUBLIC SCHOOL पता 77,78,79,80,81,BHAKHRAMAU J.N.V ROAD FATEHGARH,FARRUKHABAD तहसील - SADAR प्लाट एरिया 9544.04 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 4304.26 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ROSY PUBLIC SCHOOL	ROSY PUBLIC SCHOOL	द्वारा किया जा रहा है	इनके द्वारा भवन में 14.50 मीटर एवं

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 29-06-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAJIV MOHAN PANDEY rpsfthoffice@gmail.com 8840689882 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 29-06-2023 से 28-06-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ROSY PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ROSY PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1- All Fire Fighting must be in working condition as per G.O.18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0 Dated 07/01/2022 and a trained fire safety supervisor should be assigned these duties. 2- सेटबैक के सम्बंध में शासनादेश संख्या:18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0दिनांक:07/01/2022के अनुसार निर्णय लिया जाना सत्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है। 3-All Fire Fighting System must be Operational all the time. 4-All the Escape routs must be kept cleared all the time and Electrical Safety Audit of premises is Mandatory. 5-Incase of any deviation found at the Site , the Issued Certificate will be Automatically Cancelled.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

1"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-06-2023
स्थान : FATEHGARH

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIJAYPRAKAS TRIPATHI

F905AFE8368E4F519A2BF56225625AAC4B894500

29-06-2023